# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## अष्टम सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि 22 फाल्गुन, 1944 (श०) / 13 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 93

| | | |
|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग .. .. | 57 |
| (2) | सामान्य प्रशासन विभाग .. .. | 09 |
| (3) | वित्त विभाग .. .. | 04 |
| (4) | उद्योग विभाग .. .. | 08 |
| (5) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग .. .. | 05 |
| (6) | मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग .. .. | 07 |
| (7) | गन्ना उद्योग विभाग .. .. | 01 |
| (8) | सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग .. .. | 02 |
| | कुल योग -- | 93 |

बैंक की शाखा खोलना

*1195. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत भरौंधा बाजार में आस-पास के सुदुर क्षेत्र संख्या के ग्रामीण बाजार करने हेतु आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में एकमात्र मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा है, जिसका ए0टी0एम0 केन्द्र उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों तथा व्यापारियों को वित्तीय कार्य में कापी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाजार में एक और राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने तथा ए0टी0एम0 को अधिष्ठापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

अग्निशमन की व्यवस्था

*1196. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाला तीन थाना वृहत् आबादी वाला सबसे बड़ा क्षेत्र संख्या है परंतु उसके बाद भी किसी भी थाने में एक भी अग्निशमन (दमकल) नहीं रहने के कारण आपदा की स्थिति में आमजन को कुप्रकोप का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाने क्षेत्र संख्या में अग्निशमन (दमकल) की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

सुविधा उपलब्ध कराना

*1197. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी थाना का भवन पुराना, जर्जर तथा चहारदीवारी नहीं रहने से असुरक्षित है एवं उक्त थाना में पुलिस बैरक एवं आवास आदि की सुविधा नहीं रहने से पुलिसकर्मियों सहित महिला पुलिसकर्मी को सेवा देने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार अंधराठाढ़ी थाना भवन, पुलिस बैरक, आवास एवं चहारदीवारी का निर्माण कर समुचित सुविधा कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कार्रवाई करना

*1198. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अधीन मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत 'शफाअत हुसैन वक्फ स्टेट', वक्फ नम्बर 181, कोलहुआ, पैगम्बरपुर, मुजफ्फरपुर की जमीन राबिया खातून, जौजे-सैयद अहमद रजा द्वारा खाता संख्या 762, पुराना खेसरा नम्बर 1817, 1818 एवं 1819, नया खेसरा नम्बर 2668 एवं 2675 में कुल रकबा एक बिगहा छः कट्ठा जमीन की विभिन्न तिथियों में दिनांक 20 नवम्बर, 2007, 13 दिसम्बर, 2007 एवं 11 जून, 2008 को वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों की मिलीभगत से षड्यंत्र रचकर जाली फरेबी एवं कागजात में फर्जीवाड़ा और धोखा धड़ी कर अवैध रूप से बिक्री कर दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जमीन का पुनः सर्वे कराकर जमीन को वापस लेते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1199. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''पानी के लिये खून में शीर्ष पर बिहार'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 ई0 के बीच पिछले तीन साल में देश में पानी के लिये 265 हत्याएँ हुई हैं, जिसमें बिहार प्रथम स्थान पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित 265 हत्याओं में से केवल बिहार राज्य में 112 हत्याएँ हुई है, जो देश में अन्य राज्यों के अपेक्षा सबसे अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटनाओं को रोकने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मठ की चहारदीवारी निर्माण

*1200. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड अन्तर्गत श्री रामजानकी मठ, नवादा टोला फतुहाँ (मच्छरगाँवा) की चहारदीवारी नहीं होने के कारण मठ की जमीन में अतिक्रमण होने की प्रबल संभावनायें बनी हुई हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मठ की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराने की जिला प्राथमिकता सूची में क्रमांक 3 पर अंकित है, जिसका प्राक्कलन सहित भूमि विवरणी भी जिला विकास शाखा, मोतिहारी में समर्पित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मठ की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भवन का निर्माण

*1201. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड कार्यालय के समीप आमस थाना स्थित है जिसका भवन काफी जीर्ण-शीर्ण है, जबकि आमस थाना गया एवं औरंगाबाद पुलिस जिला की सीमावर्ती क्षेत्र संख्या में है, यदि हाँ, तो सरकार आमस थाना के मॉडल भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

जाँच करवाना

*1202. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन अरवल आरक्षी अधीक्षक, राजीव रंजन के पटना स्थित रूपसपुर थाना के बेली रोड स्थित रीमा रेसिडेंस निर्माणाधीन फ्लैट में चालक कांस्टेबल, गणेश कुमार ने 28 अक्टूबर, 2021 को आत्महत्या की थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वे अरवल में पदस्थापित थे और एस0पी0 के घर निर्माण और परिवार के देख-रेख के लिये पटना रहते थे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांड की जाँच करवाने और पटना में एस0पी0 के आवास पर तैनात रहने संबंधी आदेश की जाँच करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भर्त्ती कराना

*1203. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के विज्ञापन संख्या 02/11, पत्रांक एल0एच0जी0 1703/02-866, दिनांक 31 जनवरी, 2011 के अनुसार बिहार गृह रक्षावाहिनी के जवानों की बहाली करनी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के अनुसार बिहार के लगभग सभी जिलों ने बिहार गृह रक्षावाहिनी के जवानों की भर्त्ती कर ली है, जबकि पश्चिमी चम्पारण में 11 वर्षों बाद भी बहाली नहीं हो सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिमी चम्पारण में भी उक्त विज्ञापन के अनुसार गृह रक्षावाहिनी के जवानों की भर्त्ती का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

उद्योग स्थापित करना

*1204. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के बिक्रमगंज स्थित वर्षों पूर्व डुमराव महाराज द्वारा चीनी मिल की स्थापना की गई थी, जो कालान्तर में बंद पड़ी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल की भूमि पर अवैध दखल-कब्जा है, जबकि यहाँ सड़क, यातायात, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल को अधिग्रहित कर नया उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के विक्रमगंज स्थित डुमराव महाराज द्वारा स्थापित चीनी मिल उद्योग विभाग के क्षेत्रान्तर्गत नहीं है ।

(2) उक्त चीनी मिल की भूमि उद्योग विभाग के अधीन नहीं है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

--------

गारंटर की अनिवार्यता को समाप्त करना

*1205. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उद्यमी बनाने के लिये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऋण मुहैया कराया जाता है, परन्तु फैसल अंसारी, पिता-मो0 आलम, असफाक आलम, पिता-मो0 आलम अंसारी, ग्राम-एकहारा, थाना-बुद्चक, अंचल-कहलगाँव, जिला भागलपुर सहित अन्य अल्पसंख्यक उद्यमी को ऋणी किसी सरकारी कर्मचारी के बैंक गारंटर के शर्त पर ही दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारी के गारंटर की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अभियुक्तों को गिरफ्तारी

*1206. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा थाना कांड संख्या 253/2022 में बनहारा के सरपंच के पुत्र की हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी घटना के छः महीने बाद भी नहीं हुई है जिसके कारण पूरा परिवार दहशत में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1207. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के जंदाहा प्रखड अन्तर्गत बहसी सैदपुर पंचायत में ग्राम-बिलन्दपुर धंधुआ उर्फ शेरपुर में एक कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसकी पूरब की तरफ से घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान के पूरब तरफ की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1208. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के दरियापुर गाँव में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण जमीन अतिक्रमित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भवन का निर्माण

*1209. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना दरभंगा जिला के जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को आयोजित जिलास्तरीय 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के +2 मिथिला उच्च विद्यालय, अस्थुआ के नये भवन तथा जाले प्रखंड के काजी अहमद डिग्री कॉलेज, जाले में शौचालय सहित 6 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, किन्तु उक्त योजना पर अभीतक कोई कार्रवाई नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रस्तावित जगह पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 36, दिनांक 21 जनवरी, 2019 द्वारा कंडिका (2) में वर्णित योजनाओं को दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, प्रधान मंत्री का नया राज्य स्तरीय 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा पारित करते हुये विभागीय पत्रांक 3, दिनांक 1 जनवरी, 2020 द्वारा स्वीकृति हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया । केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की अंतिम रूप से स्वीकृति सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति द्वारा प्रदान की जाती है । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 23वीं प्राधिकृत समिति में समीक्षोपरान्त उक्त योजनाओं की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है ।

--------

सूत एवं इथेनॉल उद्योग स्थापित करना

*1210. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत प्रखंड दरौंदा में कृषि पर आधारित सूत एवं इथेनॉल उद्योग नहीं है जिससे बड़ी संख्या में युवकों को पलायन करना पड़ता है, जबकि क्षेत्र संख्या में अच्छी-खासी गन्ने एवं कपास की खेती होती है, यदि हाँ, तो सरकार दरौंदा में जगह चिह्नित कर सूत एवं इथेनॉल उद्योग कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1211. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में जमदाहा पंचायत के पड़मान मुस्लिम टोला के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से बाहरी लोगों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

निरीक्षक भवन/अतिथिगृह बनाना

*1212. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बखरी अनुमंडल, बेगूसराय जिला मुख्यालय से 35 किलो मीटर दूर है, लेकिन यहाँ जन-प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ठहरने के लिये निरीक्षण भवन/अतिथिगृह नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बखरी अनुमंडल मुख्यालय में निरीक्षण भवन/अतिथिगृह बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--प्रश्न का प्रथम खंड स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह/परिसदन की व्यवस्था होती है । अनुमंडल या प्रखंड/अंचल स्तर पर अतिथि गृह/परिसदन के निर्माण की व्यवस्था नहीं है ।

बेगूसराय जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह अवस्थित है ।

बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल में अतिथि गृह निर्माण का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है ।

--------

चहारदीवारी का निर्माण हेतु

*1213. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद् के मुर्गियाचक वार्ड संख्या 10 में खाता संख्या 740, खेसरा संख्या 4701, दरगाह की 35 डिसमिल भूमि है जिसपर शव दफन करने का कार्य होता है, जबकि वर्तमान में इस भूमि पर मुर्गियाचक, वार्ड संख्या 10 के लोगों के द्वारा कूड़ा-करकट तथा ईंट, बालू, गिट्टी रखकर अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दरगाह की भूमि की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कार्रवाई करना

*1214. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री सुरेश यादव, ग्राम-पछियारी बिगहा, थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद के निवासी के 20 वर्षीय पुत्र श्री रौशन कुमार जो एम्स, पटना में इलाज कराने गये थे, दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को वहीं से लापता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 1490/22, दिनांक 4 दिसम्बर, 2022 के रूप में दर्ज किये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री रौशन कुमार की बरामदगी के साथ ही दोषियों एवं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*1215. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में बिहार सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2010-11 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिग्रहित की गयी श्री नंदलालराय राजभर, श्री नरेश राय राजभर एवं अन्य किसानों की भूमि का निर्धारित दर के अनुरूप उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों की मुआवजा राशि में विसंगतियों को कबतक दूर करते हुए वहाँ उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मुक्ति दिलाना

*1216. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना एवं बेगूसराय जिला अंतर्गत कसहा दियारा के 295 एकड़ अत्यंत उपजाऊ भूमि एन0टी0पी0सी0 को एश डक्ट बनाने हेतु दिये जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध किसानों द्वारा वहां जन आंदोलन किया गया था, जिसमें 41 किसानों के ऊपर थाना कांड संख्या-65/20, दिनांक 30 मई, 2020 के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है और इसके तहत प्राय: इन किसानों के घरों में छापामारी की जा रही है, जिससे इन किसानों तथा उनके परिज़नों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले इन किसानों को वर्णित थाना कांड से कबतक मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1217. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु प्रखण्ड अन्तर्गत तिलौथु पूर्वी पंचायत में स्थित ईदगाह (कब्रिस्तान) की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण चारों तरफ से ईदगाह की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सासाराम के तिलौथु पूर्वी पंचायत में स्थित ईदगाह (कब्रिस्तान) की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

व्यवस्था करना

*1218. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत धमदाहा परोरा में स्थापित इथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी के निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त फैक्ट्री के निकालने वाले दूषित पानी सैकड़ों किसानों के हजारों एकड़ खेत में जमा होता है जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तथा दूषित पानी के कारण आस-पास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसान हित में तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए धमदाहा परोरा में स्थापित इथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1219. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल विधान सभा क्षेत्र संख्या के रक्सौल प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर, धनगढ़वा पंचायत अंतर्गत करबला स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का वहाँ आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1220. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया(अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखण्ड अन्तर्गत डंगरी बिशुनपुरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व कब्रिस्तान पर से आया-जाया करते हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कभी-कभी तनाव की स्थिति रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

प्रेस क्लब का निर्माण

*1221. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत प्रेस क्लब का निर्माण अबतक नहीं किया गया है जिससे स्थानीय प्रेस मीडिया के लोगों को भटकना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार अररिया जिला में कबतक प्रेस क्लब का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

व्यवस्था कराना

*1222. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत मंडल कारा, काको में बिजली कट जाने या मोटर खराब हो जाने की स्थिति में कैदियों के लिए पेयजल संकट उत्पन्न होते रहता है, साथ ही जगह-जगह डस्टबीन न होने के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कारागार में नया चापाकल लगाने, बिगड़े हुए चापाकल को बनाने एवं डस्टबीन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

--------

बरामदगी करना

*1223. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत लहेरियासराय थाना कांड संख्या-222/22 दिनांक 20 मई, 2022 में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-1746/बी0मं0, दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यकतानुसार एस0आई0टी0 का गठन करते हुए अपहृत की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक पुलिस मुख्यालय के निदेशानुसार न तो एस0आई0टी0 का गठन हुआ है और न ही अपहृत की बरामदगी हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस0आई0टी0 गठन कर उक्त मामले का उद्भेदन कर अपहृत शनि कुमार की बरामदगी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंदिरों को सुरक्षा देना

*1224. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''तस्करी-चुरायी गयी मूर्तियां नेपाल के रास्ते अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जा रही'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 से 2022 तक बिहार के ऐतिहासिक मंदिरों से 364 बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो चुकी है जिनमें से 80 की ही बरामदगी हो पायी है तथा 284 बेशकीमती मूर्तियां की अबतक बरामदगी नहीं हो पायी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चोरी की गई अधिकतर मूर्तियां नेपाल के रास्ते दूसरे देशों में भेजी जाती है जबकि मूर्ति चोरी से जुड़े मामले की समुचित जांच करने के लिये राज्य स्तर पर आर्थिक अपराध इकाई को वर्ष 2017 में नोडल एजेंसी बनाया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चोरी की गयी बेशकीमती मूर्तियों की बरामदगी के साथ-साथ मंदिरों में सुरक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

घुसपैठ रोकना

*1225. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''सीमांचल से अल्पसंख्यक हिन्दु कर रहे पलायन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आजादी के बाद सीमांचल में बंग्लादेशी घुसपैठ के कारण सीमावर्ती जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ एवं अररिया में हिंदुओं की आबादी निरंतर घटने के कारण मुसलमानों की आबादी बढ़ी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज, कटिहार एवं अररिया जिले के विभिन्न गांव से दर्जनों लोग अपेक्षाकृत हिन्दू बाहुल्य गांवों में पलायन कर गये हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त अवैध घुसपैठ के कारण इन जिलों में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि के साथ-साथ जन-जीवन तनावपूर्ण हो गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विधि-व्यवस्था सामान्य करने हेतु घुसपैठ रोकने के लिये कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्य योजना बनाना

*1226. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पत्रकारिता में रूचि रखने वाले बिहार के युवाओं ने हाल के वर्षों में सोशल मीडिया का पत्रकारिता के लिये इस्तेमाल कर काफी लोकप्रियता हासिल की है, ये न सिर्फ राज्य एवं जिला स्तर पर बल्कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर भी काफ़ी सक्रिय है, यदि हाँ, तो सरकार इसके समुचित निबंधन के लिये एवं विज्ञापन के द्वारा सहयोग हेतु कार्य योजना कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1227. ई० शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र संख्या के प्रखंड-सुगौली में पंचायत-उतरी मनसिंघा के ग्राम-बक्शा में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1228. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सभी विभागीय प्रधान सचिव एवं सचिव, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारी को सप्ताह में दो दिन क्षेत्र संख्या में जाकर कार्यों का निरीक्षण करने तथा सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारी को जिला से लेकर सभी विभागों में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में आम लोगों की समस्याओं को सुनकर निदान करने का निर्देश मार्च, 2021 में मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त व्यवस्था को लागू कराने तथा विभागीय निर्देश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

उद्योग लगाना

*1229. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले में मक्का का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु मक्का से संबंधित उद्योग नहीं रहने के कारण यहां के मक्का उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खगड़िया जिले में मक्का पर आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वर्तमान में कोई भी इकाई उद्योग विभाग द्वारा नहीं लगायी जाती है । यदि कोई उद्यमी मक्का आधारित प्लान्ट (यथा-इथेनॉल, स्टार्च, पशुदाना अन्य) लगाना चाहता है तो उन्हें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । मक्का आधारित अति लघु उद्योग इकाइयों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत क्रेडिट लिंक पूँजीगत अनुदान दिया जाता है ।

------------

स्थानांतरित करना

*1230. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार का प्रावधान है कि किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को तीन साल एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने के उपरांत उन्हें स्थानांतरित कर दूसरे स्थान पर पदस्थापित किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में श्री नमन ओझा सहायक निदेशक पद पर विगत् 25 वर्ष एवं श्री हिमजय कुमार, सहायक निदेशक पद पर विगत् 10 वर्षों से तथा मुजफ्फरपुर जिला में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर में श्री माजिद खान, सहायक निदेशक मुज० में विगत् 7 वर्षों से पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खंड (1)में वर्णित प्रावधान के अनुसार खंड (2) में वर्णित सहायक निदेशक को स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

आवास का निर्माण कराना

*1231. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता थाना में पुलिस कर्मियों के लिये पर्याप्त आवास नहीं होने के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पुलिस कर्मियों के लिये आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1232. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रजनी इंटर प्राईजेज जिसका जी०एस०टी० संख्या 10 AMSPK1005H2Z1 एवं रजनी कोल लिमिटेड जिसका CIN-U23209BR2020PLC048881 पता-सहदेव महतो रोड, बोरिंग रोड, पटना, प्रबंधक निदेशक श्री मोहनिश कुमार, पिता-श्याम नदन लाल के द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर अपने लगभग सैंकड़ों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मई, 2022 में किया गया है जिससे आम निवेशकों को जीवन-यापन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त फर्जी कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये सभी निवेशकों की निवेशित राशि की वापसी हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

उचित मूल्य पर गन्ना खरीदना

*1233. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत जोगबनी नगर परिषद् में परमान नदी किनारे हजारों एकड़ में गन्ने की खेती किसानों के द्वारा की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गन्ना किसानों को गन्ना बेचने हेतु स्थानीय स्तर पर चीनी मिल नहीं रहने के कारण अपना उपज औने-पौने भाव में बिचौलिया के माध्यम से बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना किसानों के हित में गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय किसानों से उचित मूल्य पर गन्ना खरीदने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रतिमा स्थापित करना

*1234. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्व० रामसुन्दर दासजी ने हाजीपुर लोक सभा क्षेत्र संख्या का भी प्रतिनिधित्व किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि हाजीपुर में स्व० रामसुन्दर दासजी की कोई आदमकद प्रतिमा स्थापित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वैशाली जिला के हाजीपुर में स्व० रामसुन्दर दासजी की आदमकद प्रतिमा कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

औचित्य बतलाना

*1235. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "के०सी०सी० देने में बैंक उदासीन लक्ष्य का 16.09 प्रतिशत ही बाँटे गये" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश में किसानों को साहूकार के कर्ज से मुक्ति दिलाने हेतु शुरू की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के०सी०सी० बैंकों की उदासीनता के कारण वर्ष 2022-23 में लक्ष्य 3.75 लाख के विरुद्ध मात्र 16.9 प्रतिशत ही जरूरतमंदों तक पहुँच पाया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

-------------

निर्माण कराना

*1236. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला में मात्र 6 कमरे का जिला अतिथि गृह/परिसदन है जो काफी पुराना है, जिससे आये दिन आने वाले अतिथियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेखपुरा जिला में नये मॉडल के अतिथिगृह/परिसदन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उम्र सीमा में बढ़ोतरी

*1237. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान एवं अवसर की कमी के कारण बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा खत्म होने से संयुक्त परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह गये हैं, जबकि उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड राज्य की लोक सभा आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा को 3-4 वर्ष तक बढ़ाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को रोजगार एवं अवसर प्रदान करने के लिये अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार राज्य के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिये अवसरों की कोई सीमा नहीं है। राज्य के अभ्यर्थी (आरक्षित/गैर आरक्षित) निर्धारित अधिकतम आयु सीमा तक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये अनेक अवसरों का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 294, दिनांक 7 जनवरी, 2016 के द्वारा पूर्व से ही प्रावधान किया गया है। इस संकल्प के अनुसार राज्यधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये कोटिवार अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् है:--

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) 37 वर्ष ।

(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) 40 वर्ष।

(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला)-40 वर्ष।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति (पुरूष एवं महिला) 42 वर्ष।

जहाँ तक वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान परीक्षा संचालित किये जाने का प्रश्न है, इस अवधि में भी बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएँ आयोजित की जा चुकी है।

------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1238. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के जीरादेई विधान सभा क्षेत्र संख्या के जीरादेई प्रखंड के ग्राम-बढ़ैया में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

सम्मिलित करना

*1239. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत मैरवा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज इंगलिस का ग्राम-लेभरी मैरवा थाना के अंतर्गत आता है, परन्तु इसी गाँव का एक छोटा टोला, खैरा, दरौली थाना के अधीनस्थ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मैरवा थाना से लभेरी गाँव के टोला खैरा की दूरी 3 कि०मी० तथा दरौली थाना से इस टोले की दूरी 18 कि०मी० है, जिससे खैरा के लोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लभेरी गाँव के टोला खैरा को भी मैरवा थाना के अन्तर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

जाम से निजात दिलाना

*1240. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया(अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत में पड़मान गाँव में रोड के दोनों किनारे अवैध कब्जा होने से पड़मान गाँव में जाम की स्थिति सदैव बनी रहती है, जिससे आमजनों के साथ-साथ आवागमन के साधनों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में जाम से निजात दिलाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलना

*1241. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला में आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने हेतु सरकार की योजना है एवं राज्य के पाँच जिला में आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय खोला भी गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है परन्तु अभीतक वहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं खोला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सीतामढ़ी जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । बिहार के चार जिलों-दरभंगा, किशनगंज, पूर्णियाँ एवं मधुबनी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दी गयी है। किशनगंज जिला में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दरभंगा जिला में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पश्चिम चम्पारण एवं बेगूसराय जिलों में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड, पटना तथा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु 04-05 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

-------------

राजकीय समारोह से संबंधित

*1242. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्व० राम सुन्दर दास जी के द्वारा अपने कार्यकाल में बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, परन्तु अभीतक उनकी जयंती समारोह एवं पुण्य तिथि समारोह को राजकीय समारोह के रूप में पूरे राज्य में नहीं मनाया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व मुख्यमंत्री स्व० राम सुन्दर दास जी के जयन्ती समारोह एवं पुण्यतिथि समारोह को राजकीय समारोह के रूप में राज्यभर में मनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1243. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के आत्मा पंचायत के सिढारी ग्राम में खाता संख्या 134 खेसरा 363 एराजी 4 एकड़ 06 डिसमील की भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना में पंजीकृत संख्या 1684 कब्रिस्तान की जमीन है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाना

*1244. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत पानापुर प्रखण्ड के तुर्की बाजार एवं सतजोड़ा में सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं लगे रहने के कारण आये दिन, चोरी, लूट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधी की पहचान नहीं हो पाने के कारण अपराध नियंत्रण निष्प्रभावी हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

संरक्षित एवं विकसित करना

*1245. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत फतेहपुर श्रीराम जानकी मठ में लगभग 40 बिगहा जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मठ की सम्पत्ती भूमि माफियाओं के कब्जे में होने एवं उसे बेचे जाने को लेकर आये दिन मारपीट की घटनाएँ होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मठ की चल-अचल संपत्ती को संरक्षित एवं विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1246. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड के ग्राम पंचायत खजूरी अन्तर्गत ग्राम-लोदीपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसके कारण कब्रिस्तान में गंदगी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बैंक की शाखा खोलना

*1247. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत पानापुर प्रखंड के ग्राम-महम्मदपुर एवं चकिया में कोई बैंक की शाखा नहीं रहने से आम जनता सहित व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के ग्राम-महम्मदपुर एवं चकिया के 5 कि०मी० के दायरे में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा एवं इसी बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र भी स्थित है। यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा भी कार्यरत है। इनके माध्यम से यहाँ के निवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इनके अतिरिक्त पानापुर प्रखंड अंतर्गत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 03 शाखाएँ एवं विभिन्न बैंकों की 15 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। मूलत: बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है।

-------------

बैरक का निर्माण

*1248. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड स्थित उपकारा शेरघाटी में महिला पुलिस कर्मियों के लिये अलग से बैरक उपलब्ध नहीं रहने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उपकारा शेरघाटी में महिला बैरक का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना

*1249. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत नगरपालिका में बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (बियाडा) की 11.5 एकड़ जमीन खाली है तथा बियाडा के द्वारा बंदोबस्त लीजधारी बियाडा के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जिसके चलते बियाडा के इन जमीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में बियाडा के शर्तों के अनुरूप इन खाली पड़े जमीनों का आवंटन कबतक पूरा कर आद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

*1250. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया विधान सभा क्षेत्र संख्या के पताही प्रखण्ड में लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं रहने के कारण वहां के कामगारों एवं महिलाओं को आजीविका चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अगरबत्ती बनाने या सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन अधिग्रहण करना

*1251. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, नागरिक विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ हवाई अड्डा निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण काफी दिनों के बाद किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ हवाई हड्डा से फोरलेन कनेक्टिविटी के लिये अबतक राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है और कनेक्टिविटी के लिये भविष्य में विचार करने की बात कह रही है जबकि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को पहले कनेक्टिविटी चाहिये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त हवाई अड्डा के निर्माण एवं संचालन हेतु पूर्णियाँ हवाई अड्डा से फोरलेन कनेक्टिविटी के लिये जमीन अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । पूर्णियाँ सैन्य हवाई हड्डा पर सिविल इन्क्लेब का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन हेतु 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध 2025.22 लाख रुपया जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को हस्तगत करा दिया गया । भू-धारियों द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित जमीन के लिये माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया था जिस कारण से अधिग्रहण की कार्रवाई में विलम्ब हुआ । वर्तमान समय में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । इस भूमि को भारतीय विमानपत्तन को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

(2) एवं (3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पूर्णियाँ हवाई हड्डा से सुगम परिचालन हेतु फोनलेन के सम्पर्क पथ की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया था । राज्य सरकार विमानन सेवा में भविष्य में वृद्धि एवं ट्रफिक मैनेजमेंट को देखते हुये सिविल इन्क्लेव से मुख्य सड़क राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 31 तक सुगम परिचालन हेतु फोरलेन सम्पर्क पथ के माध्यम से जोड़ने से लिये RWD सड़क RCD को हस्तानांतरित कर सड़क की चौड़ीकरण करने की कार्रवाई की जायेगी ।

-------------

नियुक्त करना

*1252. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वि०सं० 1/2019 के माध्यम से सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा अगस्त, 2022 में उक्त पद हेतु मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विज्ञापन के सफल अभ्यर्थियों को सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

दमकल गाड़ी उपलब्ध कराना

*1253. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल अंतर्गत दाउदनगर अग्निशमन केन्द्र के अधीन 8 थाना है, जिसमें वर्तमान में 4 छोटी एवं 2 बड़ी दमकल गाड़ी हैं जो पर्याप्त नहीं हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार दाउदनगर अग्निशमन केन्द्र को 4 छोटी एवं 2 बड़ी अतिरिक्त दमकल गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

पुलिस चौकी की स्थापना

*1254. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के अमौर थाना अंतर्गत कनकई नदी के पूर्वी क्षेत्र संख्या में बसे खाड़ी महीनगाव, हफनिया एवं तालबाड़ी पंचायतों एवं उक्त थाना के बीच नदी होने के कारण

घटनाओं के घटित होने के काफी समय के बाद पुलिस का आगमन होता है तथा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक पुलिस चौकी की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

तबादला कराना

*1255. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के पचरूखी प्रखंड के थाना ओ०पी० सराय में अपराधियों द्वारा दयानिधान मिश्रा को छ: गोली मारा गया, जिसका ओ०पी० सराय थाना कांड संख्या 315/22 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना कांड के चश्मदीद गवाहों दयानिधान मिश्रा एवं धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता के गवाही देने के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस काण्ड के अनुसंधानकर्ता ओ०पी० सराय थाना प्रभारी की संदिग्ध भूमिका की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

कार्रवाई करना

*1256. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सिसवन चैनपुर ओ०पी० कांड संख्या 285/2022 में रितेश सिंह उर्फ गोरख सिंह, पिता-जयनारायण सिंह, ग्राम-नवारी की हत्या दिनांक 13 नवम्बर, 2022 को हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड में नामजद अभियुक्तों की ना ही आजतक कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई कार्रवाई की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित हत्याकांड के अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

प्रतिमा स्थापित करना

*1257. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्यस्तरीय अन्तरीय विभागीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिमा स्थापन के प्रस्ताव की सूची में चौथे नंबर पर महान स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक स्व० बचन शर्मा का नाम दर्ज है तथा उनकी प्रतिमा स्थापना का विषय सरकार के निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक महान स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक स्व० बचन शर्मा की आदमकद प्रतिमा वैशाली जिला के राजकीय उच्च विद्यालय, राजापाकड़ के परिसर में स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

भवन का निर्माण

*1258. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल अंतर्गत दाउदनगर में अग्निशमन केन्द्र का अपना भवन नहीं होने के कारण अग्निशमन केन्द्र की गाड़ियों के रख-रखाव एवं अग्निशमन कर्मियों को रहने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दाउदनगर में अग्निशमन केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

*1259. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर 17916/2016, 18191/2016 एवं 20575/2016 में पारित आदेश के आलोक में नवादा जिला में चतुर्थवर्गीय रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 364 उम्मीदवारों का जिला पैनल प्रारूप तैयार कर दावा आपत्ति का निराकरण, साक्ष्यों/प्रमाण-पत्रों का मूल प्रति से सत्यापन हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना से न्यायादेश पारित होने एवं सामान्य प्रशासन विभाग, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश के बावजूद आजतक नियुक्ति नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नवादा जिला में अनुसेवकों की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1260. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत रघुनाथखाप पंचायत के ग्राम-एरूर में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

महिला थाना खोलवाना

*1261. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज शहर में महिला थाना नहीं होने के कारण वहाँ की स्थानीय महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहर में एक महिला थाना कबतक खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण

*1262. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोरवा विधान सभा क्षेत्र संख्या के मोरवा प्रखंड और शाहपुर पटोरी प्रखंड में एक भी अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक अल्पसंख्यक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है । समस्तीपुर जिले में एक अल्पसंख्यक बालक छात्रावास निर्माणाधीन है ।

--------

अनुमंडल बनाना

*1263. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला में एक ही अनुमंडल है जबकि नगर परिषद् की संख्या दो है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक ही अनुमंडल रहने के कारण विकास एवं विधि व्यवस्था में कठिनाई होती है, साथ ही सूर्यगढ़ा प्रखंड एवं सूर्यगढ़ा नगर परिषद् का क्षेत्र संख्या-फल अन्य प्रखंडों की तुलना में अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूर्यगढ़ा को भी अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भवन बनाने के संबंध में

*1264. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडल का अपना भवन नहीं होने के कारण इसका कार्य अन्य भवन में संचालित होता है, साथ ही वहाँ कार्यरत वकीलों के लिये भी कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिक्रमगंज अनुमंडल का भवन सहित वकीलों के लिये भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

थाना भवन का निर्माण

*1265. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत लकड़ीनवीगंज थाना (ओ0पी0) का उद्घाटन लकड़ीनवीगंज प्रखंड मुख्यालय नवीगंज में एक सरकारी भवन में दिनांक 18 अप्रील, 2015 को हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत लकड़ीनवीगंज प्रखंड मुख्यालय में पर्याप्त सरकारी भूमि होने एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा थाना के भवन निर्माण हेतु दूसरे पंचायत परसोनी में छः माह पूर्व पत्र निर्गत किया गया है, जो सही नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को प्रखंड पंचायत समिति लकड़ीनवीगंज की विशेष बैठक में लकड़ीनवीगंज थाना भवन निर्माण सर्वसहमति से पंचायत लकड़ी टोला, नवीगंज में ही कराने का प्रस्ताव दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत लकड़ीनवीगंज बाजार में ही थाना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1266. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के नगर परिषद्, ताजपुर के वार्ड नम्बर 23 अन्तर्गत कस्बे आहर में अवस्थित कब्रिस्तान जिसका खाता नम्बर 127, पुराना खाता नम्बर 332, पुराना खेसरा नम्बर 3179, 3175 एवं 3176 है जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का वहाँ आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराना

*1267. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहर में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास बनाना

*1268. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी(अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी अनुमण्डल अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी के लिए आवास नहीं हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उनके लिए आवास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 389, दिनांक 2 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मनिहारी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी के आवास निर्माण से संबंधित प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उक्त आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

--------

मंदिर की पक्कीकरण एवं चहारदीवारी निर्माण

*1269. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड कल्याणपुर अन्तर्गत रामजानकी मंदिर, हाजीपुर, सिसवा, पटना में चहारदीवारी के अभाव में मंदिर की जमीन अतिक्रमण होने की संभावना से आपसी तनाव व्याप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रामजानकी मंदिर, हाजीपुर, सिसवा, पटना का चहारदीवारी निर्माण हेतु जिला मंदिर/मठ चहारदीवारी की प्राथमिकता सूची में क्रमांक 05 पर अंकित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित मंदिर परिसर की पक्की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कबतक प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1270. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बड़हरिया एवं पचरूखी प्रखंड ग्राम-मलुपुर एवं ग्राम पंचायत मखनुपुर के ग्राम-मखनुपुर में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण आपसी विवाद हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

आधुनिक थाना भवन का निर्माण

*1271. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी थाना दिल्ली, गोहाटी, नेपाल आदि मुख्य शहरों को जोड़ने वाली एन0एच0-28 पर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी अधिसूचना जारी कर इसके भूमि का आवंटन वर्ष 2021-22 में किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पिपराकोठी थाना की आवंटित भूमि पर आधुनिक थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1272. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर मुशहरनियां पंचायत के अन्दौली ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1273. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में बिहपुर पूरब पंचायत के अंसारी टोला मखतब के पीछे स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच काफी तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

लैंड बैंक बनाना

*1274. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में रोजगार के सृजन में उद्योग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है तथा उद्योग स्थापित करने हेतु लैंड बैंक नहीं उपलब्ध रहने के कारण राज्य में औद्योगिक विस्तार अपेक्षित गति नहीं पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रत्येक जिला में उद्योग स्थापित करने हेतु दो-दो सौ एकड़ भूमि का लैंड बैंक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका 1.2 (VII) अन्तर्गत औद्योगिक एवं विकास योजनाओं हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के अन्तर्गत भूमि बैंक की स्थापना की गई है । वर्ष 2006-07 से 2022-23 तक कुल 5,109.33 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है ।

--------

घेराबंदी करवाना

*1275. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधान सभा क्षेत्र संख्या के परबत्ता अंतर्गत जोरावरपुर पंचायत के नया वास सतखुट्टी के आगे वाले कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है, जिसके कारण वहाँ आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

औचित्य बतलाना

*1276. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है वर्ष 2020-21 में औरंगाबाद जिला में पदस्थापित जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बालू माफियाओं की मिली-भगत से बालू का अवैध खनन कराकर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी और आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त शिकायत के कारण जिला खनन पदाधिकारियों का स्थानांतरण वर्ष 2021 में किया गया लेकिन अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2021 को एडीजी आर्थिक अपराध अनुसंधान, बिहार को उपरोक्त पदाधिकारी के विरुद्ध जाँच करने हेतु पत्र दिया गया था जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपरोक्त पदाधिकारी के विरुद्ध उच्चस्तरीय जाँच नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1277. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं० 10 में कुरैसी समुदाय स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन के चारो तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सासाराम नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०10 में कुरैसी समुदाय स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अनुकम्पा पर नौकरी देना

*1278. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के गृह रक्षक सिपाही संख्या 140346 जनार्दन सिंह, पिता-स्व० रामाधार सिंह, बक्सर टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 423, दिनांक 22 नवम्बर, 2012 के अनुसार ड्यूटी काल में ही दुर्घटना में घायल हो गये थे तथा इलाज के दौरान ही दिनांक 27 मई, 2016 को उनकी मृत्यु हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त सिपाही 140346 जनार्दन सिंह के आश्रितों को ना ही विभाग द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है, ना ही अनुकम्पा पर नौकरी दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने तथा अनुकम्पा पर नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जमीन उपलब्ध कराना

*1279. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी पम्पारण जिला अन्तर्गत रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 250 करोड़ रुपये 121 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने हेतु कर्णांकित की गयी है, लेकिन आजतक सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण हेतु 121 एकड़ जमीन उपलब्ध कराकर एयरपोर्ट विकसित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*1280. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "स्टेटस सिंबल को बॉडीगार्ड, बकाया 14.5 करोड़" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्टेटस सिंबल के नाम पर सरकारी अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) रखने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2019-20 तक 14 करोड़ 50 लाख रुपये से ज्यादा बकाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रभावशाली व्यक्ति अंगरक्षक के एवज में सरकारी खजाने में राशि जमा नहीं करने के कारण बिहार पुलिस पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जबकि सरकार ने प्रभावशाली व्यक्तियों के अंगरक्षकों को प्रतिनियुक्ति के बदले बकाया राशि की वसूली को लेकर सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया परंतु बकाया राशि की वसूली नहीं हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बकाया राशि वसूलने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

भर्ती कराना

*1281. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के 82,000 व अनुसूचित जन-जाति के 4,500 पद सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों सहित राज्य के सभी 38 जिलों में वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विभागों में रिक्त पदों पर कबतक भर्ती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । एतद्संबंधी समेकित रिक्तियों की सूचना किसी विभाग अथवा जिलों से अद्यतन अप्राप्त है।

वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में किसी सेवा/संवर्ग में आरक्षित वर्ग/गैर आरक्षित वर्ग की अनुमान्य रिक्तियों का आकलन एवं अनु० जाति अथवा अनु० जनजाति के लिये पद की अनुमान्यता का नियमानुसार निर्धारण विधिवत रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात् ही संभव हो सकेगा।

जहाँ तक राज्य के सभी विभागों सहित राज्य के सभी 38 जिलों में सभी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का प्रश्न है तो यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। राज्याधीन नियमित नियुक्ति संबंधी सभी आयोग आवश्यकतानुसार रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु दृढ़संकल्पित है।

-------------

अभियुक्तों को गिरफ्तार करना

*1282. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी(अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना अभियोग संख्या 214/2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 धारा 364/34/302/120बी भा०द०वि० के 11 अभियुक्तों में से केवल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, परन्तु 3 अभियुक्त टुनटुन मण्डल, रिशु मण्डल, सुमन उर्फ दिवाकर मण्डल जो अभी भी फरार है, वे वादी तथा गवाहों को धमकी दे रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उन फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही वादी तथा गवाहों को सुरक्षा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

हवाई अड्डा का प्रस्ताव भेजना

*1283. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना उड़ान पूरे देश में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर हवाई पट्टी अपरिचालित हवाई अड्डों की सूची में शामिल है ;

(3) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के लिये कोई प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण भागलपुर से हवाई सेवा प्रारम्भ नहीं की जा रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) RCS के अन्तर्गत भागलपुर हवाई अड्डा को सम्मलित करने हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः इस हवाई अड्डा को सम्मलित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(3) अस्वीकारात्मक है। नागर विमानन् मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। ग्रीनफिल्ड के संदर्भ में नागर विमानन् मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त विकल्प में से बिहटा को उपयुक्त मानते हुये भूमि उपलब्ध करा दिया गया है तथा यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1284. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चंदरगढ़ के ग्राम-रघुनाथ गंज में खाता सं० 38, प्लाट नं० 184 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण इसमें आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का आना-जाना होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

ईंधन की आपूर्ति करना

*1285. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर थाना एवं सिधवलिया थाना के क्षेत्र संख्या का दायरा लगभग 25 कि०मी० से अधिक तथा गंडक नदी में बंगरा पुल एवं 70 घाट पुल बन जाने से आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु पुलिस प्रशासन को ज्यादा गश्ती करनी पड़ती है, जिससे आवंटित ईंधन की आपूर्ति काफी कम पड़ जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थानों में ईंधन की आपूर्ति एवं वाहन की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*1286. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारूण थाना केस नम्बर 392/22, दिनांक 26 अगस्त, 2022 को प्राथमिकी दर्ज किया गया था, लेकिन अभीतक दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था

*1287. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माँ जानकी की पवित्र जन्म स्थली होने के कारण सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी मंदिर में हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिये आते हैं, किन्तु वहाँ आवागमन एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला में यात्री को आवागमन हेतु डुमरा से सीतामढ़ी शहर होते हुये पुनौरा धाम मंदिर तक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पटना :
दिनांक 13 मार्च, 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 80 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550